न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:–68 / 2016
जी.सी.एम.एस नं.–2016 / 00100

1. बिशनसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति रायसिख निवासी चक 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. गुरदेवसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति रायसिख निवासी चक 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादीगण

बनाम्

1. गुरमेलसिंह पुत्र निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. हाकमसिंह पुत्र निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. हाकमसिंह पुत्र निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. मलकीलसिंह पुत्र निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. पिलडकौर पुत्री निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. चूनीकौर पुत्री निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. गुडड्कौर पुत्री निक्कासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. करतारोबाई पुत्री प्यारासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. चन्नोबाई पुत्री प्यारासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. बक्शोबाई पुत्री प्यारासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. तारोबाई पुत्री प्यारासिंह जाति मजबी निवासी चक 86 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
12. उपं पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. **श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट प्रतिवादी स.–4 की ओर से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दिनांक–13/3/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] के माध्यम से माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि [illegible] 86 जी बी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–17 पत्थर नं.–283 / 421 का किला नं.–1, 2, 3, 4 प्रत्येक का 18 बिस्वा, 5 का 16 बिस्वा, 6 का 18 बिस्वा, 7, 10, 12 व 13 प्रत्येक सालम इस प्रकार कुल 9 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि का पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 10.01.1963 व दिनांक 18.02.1964

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में प्रकाश में मृतक केता प्यारासिंह के अधिकार के तहत वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे और तदुनुसार विवादति कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में अंकन किए जाने का आदेश प्रतिवादी सं.–13 को दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सामन तलब किया गया। वाद पत्र में प्रतिवादी सं.–4 ने **प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि का दस्तावेज गैरखातेदारी कृषि भूमि का है। व बिना कलक्टर की मन्जुरी का है जो गैर कानूनी दस्तावेज है वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है व 42 बी आर.टी.एक्ट की उल्घना में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि मूल खातेदार निक्कासिहं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा निक्कासिहं को उक्त विवादित भूमि बैचान करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त थे व वह बैचान करने में सक्षम था हम वादीगण के पिता प्यारासिहं द्वारा विक्रेता निक्कासिहं को पूर्ण प्रतिफल अदा कर विवादित भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.01.1963 खरीदशुदा है जो बैयनामा विधि सम्मत है तथा वादीगण द्वारा पंजीकृत बैयनामा के आधार पर उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बधं में अपने अधिकारो की घोषणा एवं व्यादेश हेतू वाद पत्र प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाए गए समस्त तथ्य विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न है जिसके सम्बधं में इन बिन्दूओ पर विवाद्यको की संरचना होने के पश्चात दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के उपरांत ही तैय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद किसी भी तरह से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो बिन्दू दर्ज किये है वह विधि एवं तथ्यो का मिश्रित प्रश्न है जिस सम्बधं में दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के पश्चात ही तैय किया जा सकता है। वादी का वाद किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा वर्जित नही है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायालय यह पाता है कि वादीगण के द्वारा विवादित कृषि भूमि का पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.01.1963 एवं दिनांक 18.02.1964 को प्रकाश में मृतक केता प्यारासिंह के अधिकार के आधार पर खातेदार अधिकारो की घोषणा के संबंध में अनुतोष चाहा है। जबकि कृषि भूमि का दस्तावेज गैर खातेदारी कृषि भूमि का है। एवं बिना श्रीमान जिला कलक्टर की मन्जुरी का है जो गैर कानूनी व शून्य दस्तावेज है। तथा शून्य व गैर कानूनी दस्तावेज के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने कारण काबिल निरस्त है अतः प्रतिवादी सं.–4 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामजुर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.–4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण के हस्तगत वाद पत्र को इसी अवस्ता पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 13/3/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़